उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:२७२ /xxvii(7)56 / 2011
देहरादून, दिनांक:०१ दिसम्बर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–नई पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित होने वाले कार्मिकों को असामयिक निधन/निःशक्तता होने पर अनन्तिम आधार पर पारिवारिक पेंशन योजना लागू किया जाना।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या:21/XXVII (7)/2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनाँक 1 अक्टूबर, 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आये समस्त कार्मिक, शासन के नियंत्रणाधीन स्वायतशासी संस्थायें और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू की गई है।

2– उक्त पेंशन योजना लागू होने के कारण उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 में राज्य शासन की अधिसूचना सं0– 19/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दि0 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप दिनांक 01, अक्टूबर 2005 को या इसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के सेवकों के लिए उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स, 1961 के प्रविधान लागू नही होंगे।

3– अब केन्द्र सरकार द्वारा अपने कार्यालय ज्ञाप सं0– 38/41/06/पी एण्ड पी0डब्लू(ए) दिनांक 05 मई 2009 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है, कि नवीन पेंशन योजना केवल शासकीय सेवको के सामान्य स्थिति में देय पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन का प्रतिस्थापन है। अतः शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता /असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण हेतु दिनांक 01–10–2005 को या इसके पश्चात नियुक्त शासकीय सेवकों के पेंशन हितलाभ हेतु पृथक से प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा।

4– उक्त योजना पेंशन हितलाभ हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठित किया गया है,, जिसके द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता /असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ देने की अनुशंसा की गयी है। उच्च स्तरीय कार्यदल द्वारा इस संबंध में की गयी अनुशंसा पर निर्णय एवं कियान्वयन में बिलम्ब को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा सेवाकाल में मृत्यु अथवा अपंगता /असमर्थता के कारण शासकीय सेवा से अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण के प्रकरणों में पेंशनरी लाभ देने हेतु अनन्तिम आदेश जारी किये गये हैं।

5– उक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार के उक्त अंतरिम निर्णय के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा भी नई पेंशन योजना से आच्छादित राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवाकाल में मृत्यु अथवा सेवा अवधि में घटित अपंगता /असमर्थता के कारण राज्य सरकार की सेवा में अक्षमता के फलस्वरूप सेवा से पृथक्करण होने पर अनन्तिम रूप से निम्न व्यवस्थानुसार पेंशनरी सुविधा अनुमन्य किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) सामान्य स्थिति में शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति पर– उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) रूल्स –1961, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित निकलांग पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपादान।

(2) शासकीय सेवक की सामान्य परिस्थिति में मृत्यु होने पर –
नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित पारिवारिक पेंशन एवं मृत्य उपादान।

(3) शासकीय सेवक की शासकीय कार्य सम्पादन की अवधि में मृत्यु होने पर–
उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली –1961 एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं मृत्य उपादान।

(4) पुलिस बल के सदस्यों की पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण पेंशन नियमावली –1961 में वर्णित परिस्थितियों में मृत्यु होने पर –
उत्तर प्रदेश (पुलिस) असाधारण नियमावली –1961, एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों के अनुसार परिगणित असाधारण पेंशन एवं सेवानिवृत्ति/मृत्य उपादान।

6– शासकीय कर्मचारी के परिवार को उपरोक्त हित–लाभ के साथ यथास्थिति मंहगाई पेंशन/मंहगाई राहत की पात्रता भी अनन्तिम (Interim) रूप से अनुमन्य होगी।

7– उपरोक्त अनंतिम हितलाभों का समायोजन राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित कार्यदल की संस्तुति को लागू करने व अंतिम रूप से बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार देय हितलाभों से किया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप यदि कोई वसूली की जानी है तो ऐसी वसूली इन नियमो के अन्तर्गत भविष्य में विकलांग पेंशनर/ कार्मिक की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशनर को किये जाने वाले भुगतानों से की जायेगी।

8– उक्त प्रस्तर– 5 के अनुसार किये जाने वाले अंतरिम भुगतान की अवधि में नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को किसी प्रकार का मासिक–वार्षिकी (Monthly Annutised) का पेंशन के रूप में भुगतान नई पेंशन योजना से नही किया जायेगा।

9– ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार के सेवक अथवा उसके परिवार को उपरोक्त प्रस्तर –5 के अनुसार अंतरिम हितलाभ की पात्रता है, और नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का भुगतान कर दिया गया है, ऐसी भुगतान की गयी राशि का समायोजन भविष्य में प्रतिस्थापित किये जाने वाले नियमों के अनुसार कर लिया जायेगा।

10– नई पेंशन योजना के अन्तर्गत उक्त श्रेणी के पेंशनरों के पेंशन प्रपत्रों का तैयार किया जाना प्रस्तुतीकरण एवं स्वीकृति की प्रकिया पूर्व में शासकीय कार्मिकों हेतु की गयी व्यस्थानुसार ही रहेगी।

11– कोषागार स्तर पर उक्त व्यवस्थानुसार स्वीकृत पेंशन हित लाभों के भुगतान का लेखा पृथक से ' नई पेंशन योजना' की कैटेगरी में लेखांकन किया जायेगा, जिससे कि इसका लेखा भविष्य में किसी प्रकार के समायोजन के समय प्राप्त किया जा सके।

12 – पूर्व में कार्यालय ज्ञाप सं0 –210/XXVII (7) / 2008, दि0 3 जुलाई, 2008 के द्वारा नई पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों हेतु अवकाश नकदीकरण की सुविधा को स्थगित किया गया था। अब यह स्पष्ट किया जाता है, कि अवकाश नकदीकरण की सुविधा सेवानिवृत्तिक हित लाभ के अन्तर्गत अनुमन्य नही की जाती है। अतः इस योजना के अर्न्तगत उक्त श्रेणी के कार्मिकों को अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के समान सभी सुविधाऐं यथावत लागू रहेंगी।

उक्त आदेश दिनांक 01 अक्टूबर 2005 या इसके बाद नियुक्त शासकीय सेवको के लिए दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से प्रभावी माने जायेंगे। पूर्व निर्गत नियमावलियों में संशोधन बाद में कर लिये जायेंगे।

कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25 अक्टूबर,2005 तथा तत्कम में समय–समय पर निर्गत शासनादेश केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।